भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3234
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागर विमानन आवश्यकता संबंधी उपबंध

3234. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:
श्री जय प्रकाश:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान हवाई यात्रियों के अनियंत्रित या व्यवधानकारी व्यवहार के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है;
(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अनियंत्रित करने या व्यवधान डालने वाले यात्रियों को नियंत्रित से संबंधित नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत विमान कंपनियों को किसी स्वतंत्र समिति को पूर्व संदर्भित किए बिना उड़ान के दौरान व्यवधानकारी व्यवहार के दोषी पाए गए यात्रियों पर तीस दिनों से अधिक का उड़ान प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने उपरोक्त प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): ऐसा कोई रुझान नहीं देखा गया है।

(ख) से (घ): उपद्रवी यात्रियों से निपटने संबंधी सीएआर (नागर विमानन अपेक्षाएं) विनियमन वर्तमान में सार्वजनिक परामर्श के अध्यधीन है। इस संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर उचित विचार करने के बाद नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

******